30/4/18 पत्रावली पेश। वादी इत्यादि उप०। अभियुक्त [illegible]
03/5/18 को पेश हो।

03/5/18 पत्रावली आज न्याय आदेश के [illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी [illegible] के पालन रिपोर्ट प्राप्त है। [illegible] पत्रावली है। [illegible] रिपोर्ट [illegible] कोर्ट के पालन शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति अग्रिम कार्यवाही की [illegible] है। [illegible] हो। [illegible] दाखिल [illegible] हो। [illegible] के [illegible]।

## राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

**न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र– रानोठ**

**पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)**

| दावा | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 182/16 | 26.07.2016 | 30.05.2018 |

**अनुवान**

1. अजीत सिंह पुत्र रूपचन्द जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर (अलवर)।

:–वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
2. श्रीमान जिलाधीश महोदय, अलवर।

:–प्रतिवादीगण

**दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज**
**वो हु0 ई0 दवामी**

**–::पर्चा डिक्री::–**

**दिनांक:– 30.05.2018**

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 30.05.2018 को **श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी ख0न0 87/0.52, 88/0.52, 154/1.44 है0 वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अजय कुमार पुत्र रूपचन्द के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं इसके स्थान पर अजीत सिंह पुत्र रूपचन्द दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

30.05.18

उपखण्डाधिकारी, मुण्डावर (अलवर) राज0

**(महेश चन्द्र मान)**
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर**
**मुण्डावर (अलवर)**

Scanned by CamScanner